

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2010—पौष 2, शक 1932

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ 2-56-2009-1-पचपन.—राज्य सरकार क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वशासी संस्था घोषित करती हैं, जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित की जाएगी, अर्थात् :—

1. सोसाइटी की सामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| (1) | मंत्री, चिकित्सा शिक्षा  | अध्यक्ष |
| (2) | चिकित्सा शिक्षा विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशित अधिकारी जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो. | सदस्य   |
| (3) | वित्त विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशित जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.                   | सदस्य   |
| (4) | एक संसद सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय  | सदस्य   |
| (5) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधान सभा का एक सदस्य  | सदस्य   |
| (6) | महापौर, नगर निगम, भोपाल  | सदस्य   |
| (7) | कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल  | सदस्य   |
| (8) | मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि जो प्राध्यापक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.                                   | सदस्य   |
| (9) | संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनका नामनिर्देशित अधिकारी जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी निम्न पद श्रेणी का न हो.                       | सदस्य   |

(10)	अध्यक्ष, स्थानीय इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन	सदस्य
(11)	पालकों का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(12)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित भूतपूर्व छात्रों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(13)	वे सभी व्यक्ति जिन्होंने संस्था को दो लाख रुपये या उससे अधिक का दान दिया है	सदस्य
(14)	राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर नामनिर्देशित चिकित्सा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि.	सदस्य
(15)	लोक निर्माण विभाग का स्थानीय प्रमुख	सदस्य
(16)	अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	सदस्य
(17)	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	सदस्य
(18)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
(19)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का नामनिर्देशित शिक्षक जो प्राध्यापक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हों.	सदस्य
(20)	संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल	सदस्य-सचिव

2. सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1)	कमिश्नर, भोपाल संभाग भोपाल	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा शिक्षा या सामान्य परिषद् में उनका नामनिर्देशित	सदस्य
(3)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनका नामनिर्देशित अधिकारी जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी निम्न पद श्रेणी का न हो.	सदस्य
(4)	ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित संस्था के चिकित्सा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि.	सदस्य
(5)	लोक निर्माण विभाग का स्थानीय प्रमुख	सदस्य
(6)	सामान्य परिषद् में विश्वविद्यालय का नामनिर्देशित	सदस्य
(7)	सामान्य परिषद् में एम. सी. आई. का प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	सदस्य
(9)	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	सदस्य
(10)	संस्था को पांच लाख रुपये या उससे अधिक का दान देने वाले दानदाताओं का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि.	सदस्य
(11)	संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल	सदस्य-सचिव

3. सोसाइटी, संस्था में अध्ययनरत छात्रों द्वारा देय फीस तथा संबद्ध चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिये रोगियों द्वारा देय प्रभारों को विहित करेगी.

4. सोसाइटी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्था में पहले से ही कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संविलियन के निबंधन तथा शर्तों और सोसाइटी द्वारा भरती किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तों विहित करेगी.

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग संस्था में वर्तमान में कार्य कर रहे चिकित्सकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के शासकीय सेवा में बने रहने अथवा समिति में संविलियन के लिये योजना बनाएगा.

No. F-2-56-2009-1-LV.—The State Government are pleased to declare the Regional Institute of Ophthalmology, Bhopal as autonomous institution to be managed and controlled by a registered society subject to the following conditions, namely :—

1. The General Council of the Society shall consist of the following members, namely :—

(1)	Minister, Medical Education Department	Chairman
(2)	Principal Secretary/Secretary in-charge of the Medical Education Department or his nominee not below the rank of the Deputy Secretary.	Member
(3)	Principal Secretary/Secretary in-charge of the Finance Department or his nominee not below the rank of the Deputy Secretary.	Member
(4)	One Member of Parliament nominated by the State Government	Member
(5)	One Member of the Legislative Assembly nominated by the State Government.	Member
(6)	Mayor of the Bhopal Municipal Corporation	Member
(7)	Commissioner of Bhopal Division, Bhopal	Member
(8)	Representative of the Medical Council of India not below the rank of professor.	Member
(9)	Director, Medical Education, M. P. or his nominee not below the rank of Joint Director.	Member
(10)	President of Local Indian Medical Association	Member
(11)	Representative of parents nominated by the State Government	Member
(12)	One representative of ex students nominated by the State Government	Member
(13)	All those persons who have donated Rs. two lacs or more to the institution.	Member
(14)	One representative of medical teachers on the basis of their seniority by rotation nominated by the State Government.	Member
(15)	Local Head of the Public Works Department	Member
(16)	Dean, Gandhi Medical College, Bhopal	Member
(17)	Superintendent, Hamidia Hospital, Bhopal	Member
(18)	Joint Director, Public Health and Family Welfare Department	Member
(19)	Nominee of the University not below the rank of Professor nominated by the Vice-Chancellor.	Member
(20)	Director, Regional Institute of Ophthalmology, Bhopal	Member Secretary

2. The Executive Committee of the Society shall consist of the following Members, namely :—

(1)	Commissioner of Bhopal Division, Bhopal	Chairman
(2)	Principal Secretary / Secretary in-charge of the Medical Education Department or his nominee in General Council.	Member
(3)	Director, Medical Education, M. P. or his nominee not below the ranks of Joint Director.	Member

(4)	One representative of institution on the basis of seniority by rotation nominated by the State Government.	Member
(5)	Local Head of the Public Works Department	Member
(6)	Nominee of the University in the General Council	Member
(7)	Representative of the Medical Council of India in General Council	Member
(8)	Dean, Gandhi Medical College, Bhopal	Member
(9)	Superintendent, Hamidia Hospital, Bhopal	Member
(10)	One representative of donars who have donated Rs. five lacs or more to the institution to be nominated by the State Government.	Member
(11)	Director, Regional Institute of Ophthalmology, Bhopal	Member Secretary

3. The Society shall prescribe the fee to be charged from the students studying in the institution and charges payable by the patients for services provided by the affiliated hospitals.

4. The Society shall, with the previous approval of the State Government, prescribe the terms and conditions of absorption of officers and employees already working in the institution and the conditions of service of persons to be recruited by the society.

5. The Medical Education Department shall make scheme for the Doctors, Officers and Employees presently working in the institution for their continuation in Government service or absorption in the society.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमारे, उपसचिव.